छत्तीसगढ़ शासन

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

हलबा जनजाति

प्रथागत कानून का मोनोग्राफ अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

13236

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 04

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

हलबा
जनजाति का प्रथागत कानून

निर्देशन : शम्मी आबिदी IAS

प्रतिवेदन : डॉ. राजेन्द्र सिंह
डॉ. रूपेन्द्र कवि

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ
अध्याय - 1	परिचय	1-3
अध्याय - 2	हलबा जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन	4-8
अध्याय - 3	राजनैतिक संगठन	9-15
अध्याय - 4	जीवन संस्कार संबंधी प्रथागत कानून	16-27
अध्याय - 5	सामाजिक जीवन संबंधी प्रथागत कानून	28-32
अध्याय - 6	आर्थिक जीवन संबंधी प्रथागत कानून	33-35
अध्याय - 7	धार्मिक जीवन से सबंधित प्रथागत कानून	36
अध्याय - 8	दैनिक जीवन से सबंधित प्रथागत कानून	37
अध्याय - 9	निष्कर्ष	38

अध्याय - 1 परिचय

1.1 प्रस्तावना

भारत की जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत(2011) भाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर वन, पहाड़ों, घाटियों तराईयों तथा तटीय क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन शैली, रहन–सहन, संस्कृति को अपनाये हुये निवासरत हैं। इस मानव समुदाय को नेटिव, वनवासी, वन्यजाति, देशज, आदिम जाति, जनजाति, आदिवासी आदि नामों से पहचान करता है। इनमें से प्रत्येक समुदाय का विशिष्ट नाम, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति आदि पायी जाती है। यह मानव समुदाय अपने प्राकृतिक निवास क्षेत्र में आदिकाल से निवासरत है। इन जनजातीय समाजों के विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये भारतीय संविधान में विशेष संरक्षी एवं विकासीय प्रावधान किये गये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत सरकार द्वारा इन जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

प्रत्येक समाज में सामाजिक संरचना की सुव्यवस्था एवं शांति स्थापित करने के लिये नियम तथा नियमों का पालन कराने के लिये सामाजिक व्यवस्था होती है। आधुनिक समाज में यह कार्य कानून न्याय तथा सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। आधुनिक समाज में कानून तथा न्याय व्यवस्था लिखित है किंतु आदिम समाज में यह व्यवस्था अलिखित तथा परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती हुई आ रही है।

समाज में मानवीय क्रिया–कलापों के दौरान समाज के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने के लिये अनेक सामान्य नियम या व्यवहार या रीति प्रचलित हो जाते हैं, जिसे उस समाज के अधिकांश लोग मानते हैं। जिसे सामाजिक विज्ञानी जनरीति कहते हैं। यह जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रत्येक पीढ़ी में इसका सफल अनुभव इसे और भी अधिक दृढ़ तथा सर्वमान्य बना देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित सामाजिक मान्यता प्राप्त जनरीति प्रथा कहलाती है। धीरे–धीरे यह प्रथा अत्यधिक दृढ़ तथा सर्वमान्य हो जाती है। इस सामाजिक प्रथा के पालन न करने वाले को जब दंड देने की व्यवस्था किया जाता है तब प्रथा के नियम विधि या कानून का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आदिम समाज में प्रथा आधारित नियमों को प्रथागत विधि या कानून कहा जाता है। आदिम समाज हो या आधुनिक समाज इनमें प्रचलित कानून का आधार प्रथा और जनरीतियां ही रही हैं।

आधुनिक कानून का आधार प्रारंभिक जनरीतियां या प्रथायें या सामाजिक प्रथायें ही रही हैं किंतु विकासीय स्तर तथा सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण आदिम समाज की प्रथायें रीति–रिवाज अन्य समाजों से अलग हैं। इनका समावेश आधुनिक कानून में नही हो पाया है। इनके प्रथाओं से आधुनिक विधिविज्ञों की अनभिज्ञता तथा आधुनिक कानून से आदिम समाज की अनभिज्ञता के कारण अनेक जनजातियां अपने प्रथागत रीति तथा संस्कृति का समुचित रूप से पालन करते हुये आधुनिक कानून के दृष्टि से अपराध की

श्रेणी में आता है। उदाहरणार्थ–अनेक आदिम समाज में बहु पत्नी विवाह प्रचलित है। इसी प्रकार हरण विवाह, विवाह की प्रथागत विधि है किंतु आधुनिक कानून की दृष्टि में इसे अपराध की श्रेणी में रखते हुये दंड की व्यवस्था किया गया है। इस प्रकार अनेक ऐसे रीतियां आदिम समाज में प्रचलित हैं जो आधुनिक कानून की दृष्टि में अपराध की श्रेणी में आते हैं।

इस प्रकार आदिम समाज की प्रथागत विधियों का अध्ययन संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य सरकारों को उसके हितों की संरक्षण की जो दायित्व सौंपे गये हैं। उसके यथोचित पालन की दृष्टि से आदिम समाज की प्रथाओं तथा प्रथागत कानूनों की जानकारी शासन तथा विधि विशेषज्ञों को होना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा जनजातीय सदस्य आधुनिक कानून के कारण दोषी या अपराधी सिद्ध होकर दंडित हो सकते हैं।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं :–

1. हलबा जनजाति के सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. हलबा जनजाति के परंपरागत तथा वर्तमान राजनीतिक संगठन व कार्य प्रणाली का अध्ययन करना।
3. हलबा जनजाति में प्रचलित प्रथागत कानून का अध्ययन करना।

1.3 अध्ययन का महत्व

आदिम समाज के प्रथागत कानून का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिम समाज के प्रथागत कानून के ज्ञान के अभाव में पुलिस, न्यायालय एवं अन्य संवैधानिक संस्थानों को जनजातियों के प्रकरण में समुचित तथा विधि संगत न्याय करने में कठिनाई होती है। इससे कई बार जनजातीय सदस्य पुलिस यातनाओं के शिकार एवं न्यायालय के प्रकरण के दायरे में आ जाते हैं। इन कारणों से शासन के विरूद्ध असंतोष व्याप्त हो जाता है। अतः उपरोक्त स्थिति को देखते हुये जनजातियों के प्रथागत कानून का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। जिससे इन प्रथागत कानून से पुलिस, न्यायालय व शासन को अवगत कराया जा सके। जिससे जनजातियों से संबंधित प्रकरणों पर विचार करते समय उनके परंपरागत नियमों, प्रथागत कानून को ध्यान में रखा जाय व जनजातियों को उचित न्याय प्राप्त हो सके।

1.4 अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर, कोंडागांव व नारायणपुर जिले के हलबा जनजाति बहुल ग्रामों में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य किया गया। इस अध्ययन हेतु उपरोक्त जिले के हलबा जनजाति के समाज प्रमुखों, परंपरागत तथा आधुनिक सामाजिक व राजनीतिक संगठन के प्रमुखों से सामूहिक साक्षात्कार के माध्यम से हलबा जनजाति की संस्कृति के विभिन्न पक्षों, रीतियों तथा प्रथागत कानून से संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया।

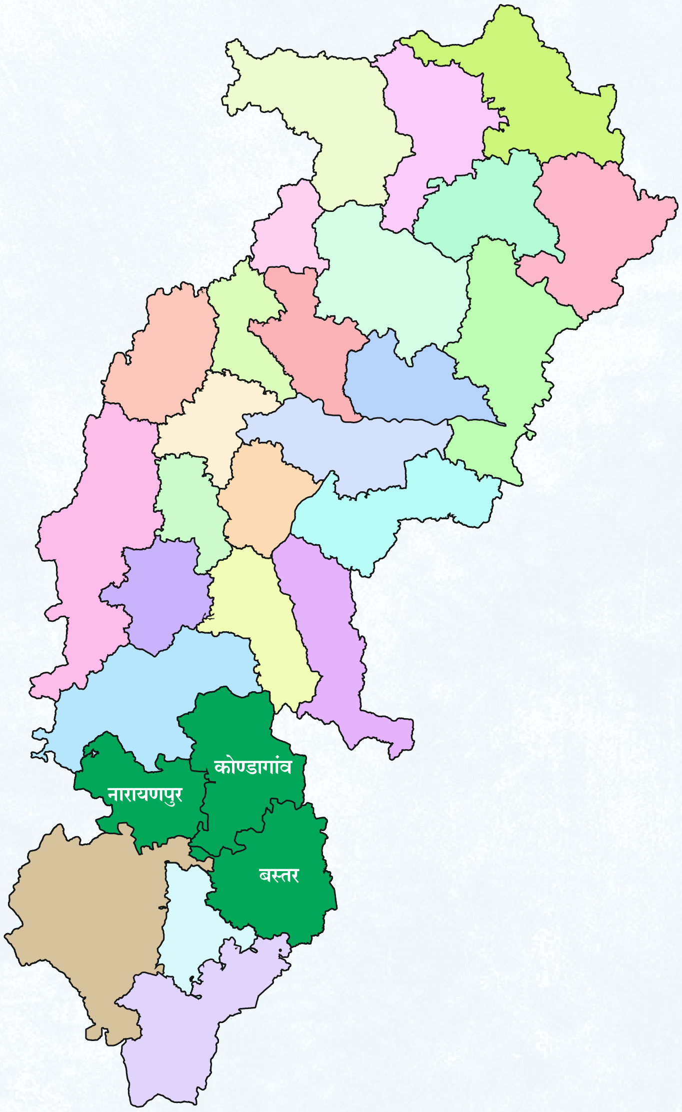

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन अर्धसहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, द्वारा किया गया। सूचनाओं के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया। विषय से संबंधित फोटोग्राफी हेतु डिजिटल कैमरा का उपयोग किया गया।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन शोध ग्रंथो, जनगणना, शासकीय प्रतिवेदनों तथा हलबा समाज द्वारा प्रकाशित नियमावली पुस्तिका से किया गया तत्पश्चात प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर प्रतिवेदन लेखन किया गया।

अध्याय - 2 हलबा जनजाति का सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन

हलबा जनजाति मुख्यतः मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, इनकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। हलबा जनजाति रियासत काल से राज व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निर्वाह करने के कारण बाह्य सम्पर्क, उच्च साक्षरता दर के कारण जागरूक व प्रगतिशील है।

हलबा जनजाति छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्य में निवासरत है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा जिले में निवासरत हैं।1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ हेतु 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में अनुक्रमांक–17 पर **हलबा, हलबी** अंकित है। रसेल एंड हीरालाल के ग्रंथ The Tribes and Castes of the Central Provinces of India vol.-III(1916) के पृष्ठ क्रमांक–182 में उल्लेखित है कि "A caste of cultivators and farmservants nations of the caste. whose home is the south of the Raipur District and the Kanker and Bastar States; from here small numbers of them have spread to Bhandara and parts of Berar."

2.1 हलबा जनजाति : उत्पत्ति

हलबा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। हलबा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथायें प्रचलित हैं। रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" (1916) vol.-III के पृष्ठ क्रमांक–182–184 में हलबा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाओं का उल्लेख हैं, जिसका हिन्दी अनुवाद निम्नांकित है –

एक उड़िया राजा ने वन्य प्राणियों तथा पक्षियों से अपने खेतों की रक्षा के लिये चार बिजूका बनवाकर अपने खेत में खड़े करवा दिये थे। एक रात महादेव एवं पार्वती धरती पर टहलते हुए उस स्थान से चले गये। पार्वती ने उन बिजूका को देख कर महादेव से पूछा–ये क्या है? जब इनके बारे में पार्वती जी को बताया गया तो वे बहुत उत्साहित हुई। उन्होंने विचार किया कि यदि इन बिजूकाओं में प्राण भर दिये जायें तो अति उत्तम होगा। यह विचार कर उन्होने महादेव जी से प्रार्थना किया। महादेव जी ने उन बिजुकाओं में प्राण भर दिये तथा उन्हे दो पुरूष तथा दो स्त्रियों में परिवर्तित कर दिया। अगली सुबह वे राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए तथा उनके साथ घटित घटना का वर्णन किया। तब राजा ने कहा "जब तुम पृथ्वी पर आ गये हो, तब तुम्हारी एक जाति होना चाहिये। तुम लोग महादेव के पास जाकर पता लगाओ कि तुम किस जाति से संबंधित हो।" तब वे महादेव के पास गये और स्वयं की जाति के संबंध में पूछा तब उन्होने कहा कि हवा में हिलने के कारण तुम पर हमारा ध्यान गया। इस कारण हवा से हिलना या हलना के कारण तुम्हारी जाति हलबा कहलायेगी।

आगे यह कहानी में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार हलबा बस्तर तथा कांकेर में आये तथा बस गये। इस संबंध में कहा गया है कि उड़िसा के जगन्नाथ के कुष्ठ रोग से पीड़ित एक राजा के साथ कुछ हलबा व्यक्ति सिहावा जंगल में अपनी अंतिम जीवन काल बिताने के लिये आये। एक दिन राजा अपने सफेद रंग के कुत्ते के साथ शिकार के लिये जंगल गया था। जंगल में वह कुत्ता एक झरना में कूद गया और जब वह बाहर आया तो उसके शरीर का सफेद रंग तांबाई लाल रंग में परिवर्तित हो गया। राजा ने इस चमत्कार को देखा और स्वयं उस झरने में स्नान किया जिससे राजा कुष्ठ रोग से स्वस्थ हो गया। इसके बाद उसे अपने उड़ीसा प्रांत वापस लौटने की इच्छा हुई। लेकिन हलबाओं ने इसी राज्य में रहना स्वीकार किया।

बस्तर के ख्यातिप्राप्त साहित्यकार लाला जगदलपुरी(2000) ने अपने ग्रंथ "बस्तर : इतिहास एवं संस्कृति" में हलबा जनजाति का उल्लेख किया है। इसमें उन्होनें हलबा जनजाति की उत्पत्ति के अनेक किवदंतियों का उल्लेख किया है। हलबा जाति के उत्पत्ति का संबंध "महाभारत" के रूक्मिणी हरण प्रसंग से संबंधित है। उक्त ग्रंथ के पृष्ठ–81 में उल्लेख है कि "श्रीकृष्ण जब रूक्मिणी को हर कर भाग रहे थे, तब रूक्मिणी के भाई ने अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा किया। पीछा तो किया, किंतु बलराम जी का पराक्रम देखकर रूक्मिणी के भाई के सिपाही उनसे इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होनें बलराम जी के हल और मूसल को ही अपना लिया। कहते हैं कि उन्ही सिपाहियों का "हल–बाहना" शब्द उच्चारण भेद के साथ संक्षिप्त रूप में हलबा प्रचलित हो गया है।"

2.2 बोली

हलबा जनजाति के सदस्य हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं। यह बोली आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। बस्तर में हल्बी बोली को संपर्क भाषा (लिंग्वा फ्रैंका)का दर्जा प्राप्त है। हल्बी बोली बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों में प्रचलित है किंतु मध्य बस्तर क्षेत्र में हल्बी बोली का प्रसार अधिक है।

2.3 जनसंख्या व साक्षरता

हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा जिले में निवासरत हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में हलबा जनजाति की कुल जनसंख्या 375182 है, जिसमें 183877 पुरूष तथा 191305 स्त्रियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हलबा जनजाति का लिंगानुपात 1040 है तथा बाल लिंगानुपात 990 है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हलबा जनजाति की साक्षरता दर 76.2 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष साक्षरता दर 86.6 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 66.2 प्रतिशत है।

2.4 भौतिक संस्कृति

हलबा जनजाति के अधिकांश ग्राम बहु जातीय हैं, किन्तु इनके मुहल्ले पृथक हैं। हलबा जनजाति के ग्राम अनेक मुहल्ले में विभाजित होते हैं। ग्राम के मध्य या मुख्य स्थल में बाजार, स्कूल, शासकीय अस्पताल, राशन दुकान आदि स्थित होते हैं। ग्राम के किनारे या मध्य में देवगुड़ी होता है, जिसमें ग्राम देवी–देवता की मूर्ति स्थापित होती है। श्मसान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है।

हलबा आवास चारों ओर से पत्थर, लकड़ी के खंबे या झाड़ियों या बांस की बाड़ी या मिट्टी की चारदीवारी से घिरा होता है। जिसके मध्य में हलबा जनजाति का आवास होता है। सामने की ओर आंगन रहता है, जिससे लगा हुआ मुख्य घर व थोड़ा दूर में गौशाला तथा बकरी रखने का कक्ष होता है। हलबा जनजाति के आवास का आकार परिवार की संख्या के अनुसार बनाया जाता है।

हलबा स्त्री–पुरूष श्रृंगार, प्रतिष्ठा, सुरक्षा व प्रतीक हेतु आभूषण धारण करते हैं। उनके आभूषण सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, गिलट, तांबा, लाख आदि से निर्मित होते हैं। हलबा जनजाति में गोदना गुदवाने की परंपरा है। हलबा जनजाति में घरेलू उपयोग, दैनिक उपयोग, जीवन चक्र, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, लोक परंपराओं से संबंधित भौतिक संस्कृति पाये जाते हैं।

2.5 जीवन चक्र

हलबा जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर में या संस्थागत होता है। शिशु जन्म के 6 या 8 दिन में नाल झड़ने पर 'सठी' (छठी संस्कार) किया जाता है।

हलबा समाज में विवाह हेतु ममेरे–फूफेरे विवाह को प्राथमिकता प्राप्त है। वर्तमान में हलबा समाज में लड़कों का विवाह 21–25 वर्ष तथा लड़कियों का विवाह 18–22 वर्ष की आयु में किया जाता है। हलबा समाज में जीवन साथी चयन करने हेतु सहमति विवाह, परीवीक्षा विवाह, विनिमय विवाह, पलायन विवाह, पुनर्विवाह का प्रचलन है।

हलबा जनजाति में मृत्यु होने पर शव को दफनाते या जलाते हैं। मृत्यु के तीसरे दिन 'तीज नहान' या 'तीज' होता है तथा पांचवें दिन अंतिम क्रियाकर्म होता है। कुछ परिवार में दसवें दिन में अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है।

2.6 सामाजिक जीवन

बस्तर में हलबा जनजाति दो वर्गों पुरित और सुरित में बंटी हुई है। हलबा जनजाति अनेक गोत्रों में विभाजित है। एक गोत्र के सदस्य एक–दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। गोत्र बहिर्विवाही समूह है अर्थात समान गोत्र में विवाह निषेध है। हलबा जनजाति में एकल या केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं।

2.7 आर्थिक जीवन

हलबा जनजाति का परंपरागत कार्य चिवड़ा बनाना व बेचना तथा कृषि कार्य करना है। हलबा जनजाति में उपभोग एवं विक्रय हेतु कंदमूल एवं वनोपज संकलन किया जाता है। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। हलबा जनजाति के स्त्री–पुरूष नदी–नालों, तालाब तथा खेत में एकल या सामूहिक रूप से मछली मारने का कार्य करते हैं। कृषि, हलबा आर्थिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हलबा जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हलबा सदस्यों द्वारा घर के समीप बाड़ी में, खेतों में तथा

मरहान में अनाज, दालें तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। पशुपालन हलबा जनजाति की सहायक आर्थिक क्रिया है। हलबा जनजाति के सदस्य कृषि, निर्माण आदि क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं। हलबा जनजाति के अनेक सदस्य शासकीय, अर्द्धशासकीय क्षेत्र में नौकरी करने लगे हैं।

2.8 धार्मिक जीवन

हलबा धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं के विश्वास पर आधारित है। मुख्य देवी–देवता शीतला देवी, ठाकुर देव, काली माता, कंकालीन देवी, परदेशीन देवी आदि है। हलबा जनजाति के सदस्य प्रमुख देवी–देवता के रूप में दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, मावली देवी की आराधना करते हैं। हलबा जनजाति के प्रमुख त्यौहार अमुस, नयाखानी, दियारी, छेरछेरा आदि है।

2.9 लोक परम्परायें

हलबा जनजाति के लोक जीवन में लोककथा, लोक कहावत, पहेली, नृत्य–संगीत, गीतों का अद्भुत समायोजन है। हलबा सदस्य जीवन की क्रियाओं को सरल, सुगम एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लोककथा, लोक कहावत, पहेली, गीत–संगीत–नृत्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण अवसरों से जुड़ा हुआ है। हलबा जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक जीवन से संबंधित नृत्य व गीत प्रचलित हैं।

अध्याय - 3 राजनैतिक संगठन

मानव समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये सामाजिक प्रतिमान तथा सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते हैं। सरल समाजों में ये साधन अनौपचारिक, अचेतन, अप्रत्यक्ष एवं सहज होते हैं। इन समाजों में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विशिष्ट राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जो प्रथाओं तथा धार्मिक रीति के सामंजस्य से कार्य करता है। हलबा जनजाति में परंपरागत रूप से द्विस्तरीय राजनीतिक संगठन पाया जाता है –

3.1 ग्राम स्तरीय जाति पंचायत

हलबा ग्रामों में ग्राम स्तर पर जनजाति के सदस्यों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिये ग्राम स्तरीय जाति पंचायत होता है। इसमें ग्राम या समीप के अन्तर ग्राम से संबंधित छोटे मामलों का निपटारा किया जाता है। इसका विवरण निम्न है–

3.1.1 कार्यकारिणी

हलबा जनजाति के ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी में पाईक, पुजारी तथा सहयोग हेतु बुजुर्ग परिषद् ''सियान'' के रूप में सहायता करते हैं।

अ. पाईक

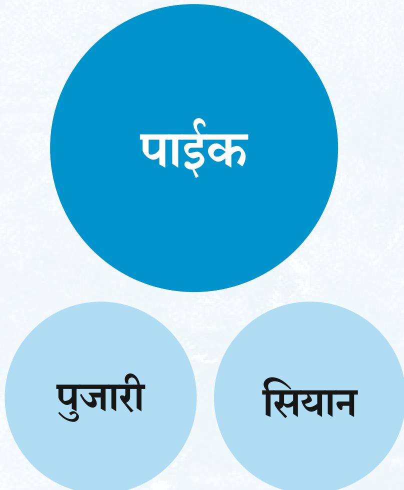

ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत के मुखिया को पाईक कहते हैं। पाईक सर्वसम्मति से चयन किया जाता है। पाईक का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों में निर्णय करना, ग्राम क्षेत्र में घटित बड़े अपराध की सूचना परगना नाईक को देना, हलबा व अन्य जनजाति के मामलों के निपटारे में हलबा जनजाति का प्रतिनिधित्व करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी, बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों के शुद्धिकरण में सहयोग करना आदि है।

ब. पुजारी

पुजारी, ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में पाईक का सहयोगी होता है। वह जनजाति पंचायत में धर्म, अशुदि्ध तथा भूमि संबंधी मामलों में पाईक की मदद करता है। पुजारी का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या पुजारी का पद सम्हालने के अनिच्छुक है तो सर्वसम्मति से उसके परिवार के अन्य व्यक्ति को पुजारी बनाते हैं।

पुजारी का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में पाईक का सहयोग करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी, बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों के शुद्धिकरण में सहयोग करना, ग्राम स्तर के धार्मिक आयोजनों को पाईक के सहयोग से पूर्ण करना, ग्राम स्तर के भूमि संबंधी मामलों को निपटारे में राय देना आदि है।

स. बुजुर्ग परिषद्

हलबा जनजाति के ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में पाईक के सहयोग हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों का समूह होता है। जिसे ''सियान'' कहते हैं। बुजुर्ग परिषद में तीन से सात सदस्य होते हैं। ये ''सियान'' या बुजुर्ग व्यक्ति ग्राम में जनजाति के योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित तथा जानकार व्यक्ति होते हैं।

''सियान'' या बुजुर्ग परिषद का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में पाईक के साथ विचार–विमर्श करना तथा पाईक को निर्णय लेने में सहयोग करना,उच्च स्तरीय पंचायत में लिये गये निर्णय के पालन की निगरानी करना, ग्राम स्तर पर होने वाले धार्मिक कार्यों में सहयोग करना, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

3.2 परगना जाति पंचायत

हलबा जनजाति के रियासतकाल से 10–20 ग्रामों के समूह पर गठित राजनीतिक इकाई परगना पर आधारित स्तर को परगना जाति पंचायत कहते हैं। परगना जाति पंचायत का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित जाति संबंधी गंभीर या बड़े अपराधों का निपटारा करना, अंतर–ग्राम विवादों का निपटारा करना है। परगना जाति पंचायत की कार्यकारिणी निम्न है –

3.2.1 कार्यकारिणी

हलबा जनजाति के परगना जाति पंचायत की कार्यकारिणी में नाईक तथा पाईक तथा शुद्धता संबंधी कार्यों में सहयोग हेतु बुजुर्ग परिषद ''सियान'' होते हैं।

अ. नाईक

हलबा जनजाति के क्षेत्रीय स्तर या परगना जाति पंचायत का प्रमुख पद नाईक होता हैं। नाईक, परगना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का राजनीतिक प्रमुख होता है। नाईक का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या नाईक का पद सम्हालने के अनिच्छुक है तो उसके किसी योग्य भाई को

नाईक का पद दिया जाता है। यदि नाईक निःसंतान है तो उसके भाईयों के पुत्र को, यदि नाईक की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अवयस्क है तो सर्वसम्मति से परिवार के अन्य व्यक्ति को नाईक बनाते हैं।

नाईक का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों अर्थात निकटागमन संबंधी मामले, अंतर्जातीय विवाह, पलायन विवाह तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत या समाज से बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी मामले का निपटारा करना, ग्राम स्तर पर लिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील का निपटारा करना, एकाधिक हलबा ग्राम के मामलों का निपटारा करना, सामाजिक नियमों तथा निर्णय के पालन तथा उल्लंघन की निगरानी करना आदि है।

ब. पाईक

हलबा जनजाति के परगना स्तरीय जनजाति पंचायत में नाईक के कार्यों में सहयोग हेतु परगना के अंतर्गत ग्रामों के पाईक का एक समूह होता है।

ब. बुजुर्ग समूह

हलबा समाज में पाँच नाईक को प्राचीनकाल से समाज के मार्गदर्शक माना गया है। पाँच नाईक का पद वंशानुगत परम्परा से जारी है, पाँच नाईक जिसमें प्रधान, समरथ, मांझी, कुदराम एवं गागड़ा परिवार के समाज में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका कार्य नाईक के कार्यों में सहयोग करना, जात–पात या बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी कार्य में नाईक को सहयोग करना तथा ग्राम स्तर पर होने वाले धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

3.3 आधुनिक जातीय संगठन

हलबा जनजाति के परंपरागत जनजाति पंचायत का प्रभाव आधुनिकता, बाहरी संपर्क, पंचायती राज तथा अन्य समाज के प्रभाव के कारण कम हो रहा है। इस कारण हलबा जनजाति के शिक्षित, जागरूक तथा प्रगतिशील सदस्यों द्वारा समाज को जागरूक, संगठित तथा विकास मार्ग पर अग्रसर करने हेतु हलबा जनजाति के सामाजिक संगठन का गठन किया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में निवासरत हलबा जनजाति के सदस्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर संगठन स्थापित किया था, जिसे समाज के पदाधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर संगठित होकर "अखिल भारतीय हलबा, हलबी समाज" का गठन किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर संगठित हलबा समाज पांच महासभा में विभाजित है –

1. उड़ीसा महासभा
2. महाराष्ट्र महासभा
3. मध्यप्रदेश महासभा

4. बालोद महासभा

5. बस्तर महासभा (32 गढ़ व 18 गढ़)।

बस्तर संभाग के बस्तर महासभा में दो महासभा 32 गढ़ महासभा व 18 गढ महासभा सम्मिलित है, जिसमें संभाग, जिला एवं गढ़ स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, गढ़ अध्यक्ष, गढ़ उपाध्यक्ष, गढ़सचिव तथा कार्यकारिणी है। उपरोक्त संगठन द्वारा हलबा जनजाति समाज सुधार तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है।

3.3.1 आधुनिक राजनीतिक संगठन का स्वरुप

हलबा जनजाति समाज में समाज की एकता, संगठन, प्रगति के उद्देश्य से वर्तमान में नये स्वरूप में राजनीतिक संगठन का गठन किया है। इसका स्वरूप अखिल भारतीय है। इस आधार पर पूरे हलबा समाज को एक इकाई मानकर उससे जुड़े समुदाय को क्षेत्र के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। जिसके संगठन का स्वरूप निम्नांकित है –

अखिल भारतीय हलबा, हलबी समाज का आधुनिक संगठन

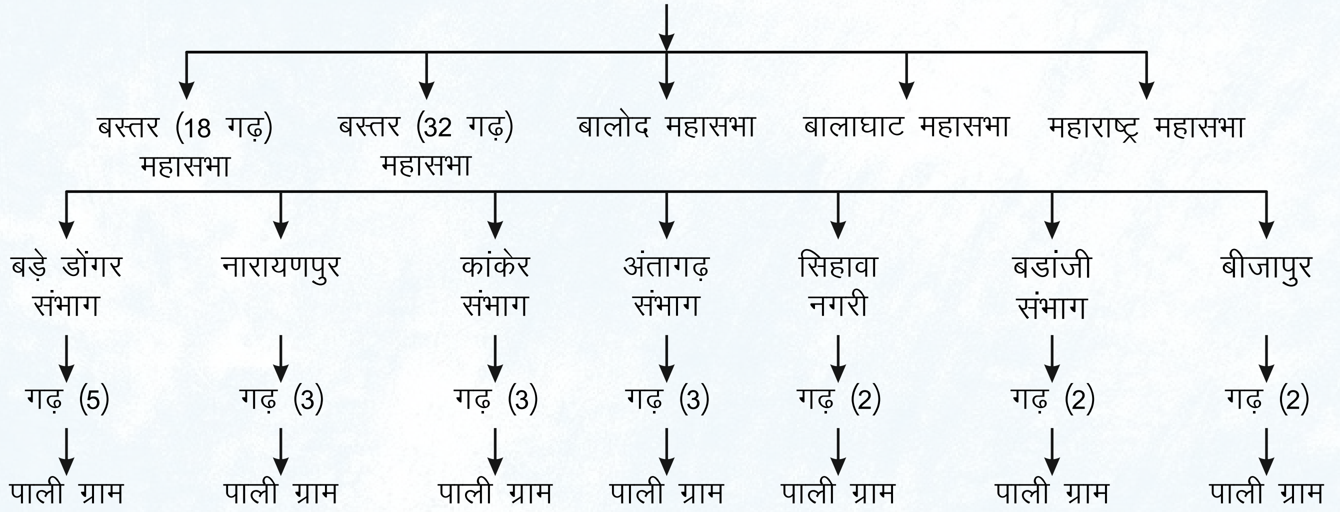

हलबा जनजाति के राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय स्तर पर है। इसमें सामाजिक स्तर पर उड़ीसा महासभा, महाराष्ट्र महासभा, मध्यप्रदेश महासभा, बालोद महासभा तथा बस्तर महासभा (32 गढ़ व 18 गढ़) कुल पांच महासभा में विभाजित किया गया है। महासभा को संभाग, गढ़ तथा पाली ग्राम में विभाजित किया गया है। उपरोक्त रेखाचित्र के माध्ये से छत्तीसगढ़ राज्य के 18 गढ़ महासभा के स्तरीकृत संगठन को दर्शाया गया है, जिनका विवरण निम्नांकित है –

1. **महासभा** - हलबा जनजाति में सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था संचालन, क्षेत्रीयता तथा स्तरीकरण के आधार महासभा का गठन किया गया है। संपूर्ण समाज पांच महासभा में विभाजित है। जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में बालोद महासभा तथा बस्तर महासभा का गठन किया गया है।

2. **संभाग** - हलबा जनजाति के महासभा, संभाग में विभाजित है। चार–पाँच गढ़ को मिलाकर सामाजिक व्यवस्था के सुसंचालन हेतु संभाग का दर्जा दिया गया है। जिसमें संभाग एवं गढ़ के कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

   संभाग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव संभाग के आश्रित गढ़ के कार्यकारिणी, पदाधिकारियों का गढ़ के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इन पदाधिकारियों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होता है। संभाग स्तर को अलग से नियम पारित करने का अधिकार नहीं है। वे गढ़ के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं।

3. **गढ़** - हलबा जनजाति के संभाग, गढ़ में विभाजित है। दस, बीस या अधिक पाली ग्रामों को मिलाकर गढ़ का दर्जा दिया गया है। जिसमें गढ़ एवं पाली ग्राम के कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जाता है। गढ़ के आश्रित पाली ग्राम के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से सभा आयोजित कर गढ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों का

चुनाव पाँच वर्ष की अवधि हेतु करते है। गढ़ के सामाजिक संस्कारों के गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण गढ़ के पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

18 गढ़ के हलबा समाज में पाँच नाईक को प्राचीन काल से समाज के मार्गदर्शक माना गया है। पाँच नाईक का पद वंशानुगत परम्परा से चला आ रहा है। पाँच नाईक जिसमें प्रधान, समरथ, मांझी, कुदराम एवं गागड़ा परिवार के समाज में प्रतिनिधित्व करते हैं। हलबा समाज के 18 गढ़ की सूची निम्नांकित है –

18 गढ़ के संभाग गढ़ों की सूची

1.	संभाग बड़ेडोंगर	–	1. बड़ेडोंगर, 2. सिलयारा, 3. चेरीमेडों, 4. कोपरा, 5. आमाबेड़ा
2.	संभाग नारायणपुर	–	1. नारायणपुर, 2. छोटेडोंगर, 3. कोलर (मर्दापाल)
3.	संभाग कांकेर	–	1. गढ़ कांकेर, 2. लोहत्तर, 3. बांसला
4.	संभाग अंतागढ़	–	1. गढ़ अंतागढ़, 2. परतापुर, 3. झाडापापड़ा (चारगांव, कुआंपानी)
5.	संभाग सिहावा नगरी	–	1. गढ़ सिहावा नगरी, 2.बिन्द्रा नवागढ़ (कौडुला, कोकसरा)
6.	संभाग बड़ांजी	–	1. गढ़ बड़ांजी, 2. कोटपाड़ (देवभोग)
7.	संभाग बीजापुर	–	1. गढ़ बीजापुर, 2. भैरमगढ़ (भोमरागढ़, सालमी)

18 गढ़ हलबा समाज को सात संभाग में बाँटा गया है। 18 गढ़ के अतिरिक्त क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर 8 गढ़ों को सामाजिक सुविधा के लिए गढ़ का दर्जा दिया गया है जिसमें–कोपरा, आमाबेड़ा, कौडुला, कुआंपानी, चारगांव, मर्दापाल, कोकसरा तथा देवभोग है।

4. **पाली ग्राम** - हलबा जनजाति के गढ़, पाली ग्राम में विभाजित है।यह सामाजिक–राजनैतिक संगठन की प्राथमिक इकाई है, इसे 50–60 घर से अधिक परिवारों के गांव या पारा या टोला के आधार पर नियत किया जाता है। जिसमें पाली ग्राम के कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जाता है। पाली ग्राम में ग्राम समाज प्रमुख, ग्राम समाज सदस्य तथा महिला मण्डल की कार्यकारिणी का निर्वाचन ग्राम के सदस्यों द्वारा पांच वर्षों के लिये किया जाता है। पाली ग्राम के कार्यकारिणी का मुख्य कार्य पाली ग्राम स्तर के छोटे प्रकरणों का समाधान कर गढ़ अध्यक्ष को अवगत कराना है।

3.3.2 अधिकारी / कर्मचारी प्रकोष्ठ

सामाजिक कार्यो में गतिशीलता एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने हेतु समाज के प्रबुद्ध वर्गों में संगठन एवं सक्रियता लाने हेतु अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में समाज के अधिकारी–कर्मचारी सदस्य हैं। संगठन के संचालन हेतु स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है। पेंशन प्राप्त अधिकारी कर्मचारी को मार्ग दर्शक एवं सलाहकार बनाया जाता है।

अध्याय - 4 जीवन संस्कार संबंधी प्रथागत कानून

हलबा समाज में जन्म, विवाह एवं मृत्यु होने पर कुछ निश्चित नियमों का पालन कर अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। इन अनुष्ठानों में क्षेत्रीयता तथा परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में भिन्नता तथा रूचि के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विवधता दिखाई देता है, किंतु हलबा समाज के मूलभूत नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जीवन संस्कार अर्थात् जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े नियमों के उल्लंधन होने से व्यक्ति, परिवार को परंपरागत विधियों के अनुरूप न्याय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हलबा जनजाति में प्रचलित जीवन संस्कार का विवरण इस प्रकार है –

4.1 जन्म संस्कार

4.1.1 गर्भधारण व प्रसव

हलबा जनजाति में मासिक चक्र रूकने से गर्भधारण का ज्ञान होता है। हलबा जनजाति में गर्भवती स्त्री, गर्भकाल के प्रारंभिक एवं मध्यकाल तक सामान्य दैनिक कार्यो का निर्वहन करती है। हलबा जनजाति में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये पूजा या अनुष्ठान किया जाता है। गर्भकाल के दौरान गर्भवती स्त्री को अनेक नियमों व निषेधों का पालन करना पड़ता है।

गर्भवती स्त्री का प्रसव घर में या संस्थागत होता है। घर में प्रसव होने पर प्रसव कार्य ग्राम की दो–तीन जानकार स्त्रियों 'सुईन' से करवाते हैं। हलबा जनजाति में प्रसव के उपरांत तीन दिन प्रसूता को 'कशा' पानी या तिल गुड़ दिया जाता है।

4.1.2 छठी संस्कार तथा नामकरण

शिशु के नाल झड़ने पर छठी संस्कार किया जाता है।नाल गिरने के बाद छठी संस्कार स्थानीय सुविधानुसार सम्पन्न किया जाता है तथा बारह दिनों के पूर्ण शुद्धिकरण (बरही) किया जाता है।यदि संस्थागत प्रसव होता है तो डिस्चार्ज होने के बाद छठी आदि का कार्य किया जाता है।

बच्चे के नाल को घर के आंगन में गड़ाते हैं। सुईन प्रसूता के कमरे को साफ करती है तथा शिशु को नहलाती है। इस दिन संबंधियों तथा ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाता है। बच्चे का नामकरण परिवार के सदस्य करते हैं तथा आमंत्रित जन शिशु को आशीर्वाद तथा उपहार देते हैं। उपहार में वस्तु या वस्त्र के स्थान पर राशि भेंट करने का नियम समाज द्वारा बनाया गया हैं। नामकरण के बाद सभी आमंत्रित जनों को भोज कराते हैं।

4.2. विवाह संस्कार

हलबा समाज में विवाह, जीवन का द्वितीय संस्कार है। विवाह से ही व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, निश्िंचतता आती है साथ ही परिवार के निर्माण से समाज व संस्कृति निरन्तर गतिशील रहती है।

4.2.1 विवाह हेतु अधिमान्यता

हलबा समाज में विवाह हेतु पूर्व में ममेरे–फूफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त थी जिसमें सामाजिक निर्णय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। हलबा जनजाति वंश व गोत्र बहिर्विवाही तथा जनजाति अंतर्विवाही है।

4.2.2 विवाह आयु

हलबा समाज के संगठन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्तमान में लड़कों का विवाह 21 वर्ष तथा लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु या पश्चात किया जाता है। पूर्व में हलबा समाज में अल्पायु मे विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात् बालक का विवाह 14–16 वर्ष एवं बालिका का 12–15 वर्ष में किया जाता था।

4.2.3 विवाह के प्रकार

हलबा समाज में अधिकांश एकल विवाह होते हैं। इसमें एक समय में एक ही पुरूष–स्त्री के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध होता है। कई बार विवाह विच्छेद, विधुर/विधवा होने के कारण दूसरे पुरूष/स्त्री से विवाह किया जाता है किन्तु एक समय में एक ही स्त्री/पुरूष से विवाह सम्बन्ध होता है।हलबा समाज में बहुपत्नी विवाह अल्पसंख्या में पाये जाते हैं। इसका मुख्य कारण विधवा विवाह एवं संतानहीनता है। ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह संभव है। हलबा समाज में बहुपत्नी विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

4.2.4 जीवनसाथी चयन की विधियाँ

हलबा समाज में जीवन साथी चयन करने हेतु अनेक विधि प्रचलित है। विवाह हेतु इच्छुक व्यक्ति या परिवार प्रचलित विधियों के अंतर्गत विवाह कर सकता है। हलबा समाज में विवाह साथी चयन की विधि व विवाह विवरण निम्न है–

1. **सहमति विवाह -** सहमति विवाह में वर–वधू दोनों पक्ष पक्ष आपसी सहमति से विवाह सम्बन्ध तय करते हैं। हलबा जनजाति में आपसी सहमति के आधार पर किये जाने वाले विवाह की संख्या सर्वाधिक है। सहमति विवाह के विभिन्न रूपों का वितरण अधोलिखित है :–

अ. मंगनी बिहा (मंगनी विवाह)

विवाह प्रस्ताव - हलबा जनजाति में पुत्र के विवाह योग्य होने पर पिता योग्य कन्या की तलाश कर, डिहीवार या मध्यस्थ के साथ कन्या के घर विवाह प्रस्ताव लेकर जाता हैं। कन्या पक्ष से सकारात्मक उत्तर मिलने के

पश्चात लड़के के माता–पिता व मध्यस्थ जाते हैं। यदि कन्या एवं कन्या पक्ष विवाह प्रस्ताव से सहमत होता है तो विवाह प्रस्ताव स्वीकृत होना माना जाता है।

महला (मंगनी) - हलबा जनजाति में विवाह प्रस्ताव के स्वीकृति तथा विवाह के मध्य 'महला'(मंगनी) का रिवाज है, जिसे वर्तमान में आपसी सहमति से तीन महला में रस्मों को पूर्ण कर लेते हैं।

विवाह की रस्म - हलबा जनजाति में पूर्व में 5–7 दिनों का वैवाहिक कार्यक्रम होता था, जिसे वर्तमान में दो दिनों में सीमित कर दिया गया है। विवाह कार्यक्रम, रस्म, सामग्री का विवरण निम्नांकित है :–

1. **फलदान -** इसमें बेटी हारनी रस्म व समधी भेंट होता है।

2. **जतली नेंग -** इसमें अगरबत्ती, घी, लाली, गुलाल,हल्दी, फूल, गांठ हल्दी, सुपारी, नारियल, गुड़, चिवड़ा, कंघी, फीता, चुड़ी–फुंदरी, पर्रा, बिजना, पैरदाना आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है।इस रस्म में वर–वधु से ओखली (धान कुटने) के पास मुसल और सील का पूजा करवाया जाता हैं। यह वर–वधू के गृहस्थ जीवन में प्रवेश व जीवन आधार व हलबा समाज के प्रतीक ओखली और मुसल के महत्व को इंगित कराता है।

3. **मण्ड़प -** मंडप स्थापना के लिये नारियल, अगरबत्ती, घी, लाली, गुलाल, वस्त्र, सुपारी, दाल–चाँवल, चूड़ी–फूंदरी, गुड़, चिवड़ा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। मंडप में महुए के नये उगे शाखा जिसे कुंवारा–कुंवारी का दर्जा दिया जाता है। उसकी विधिवत पूजा कर समाज प्रमुखों और ढेड़ा के द्वारा स्थापित किया जाता है। मण्डप के उपर गुलर या डुमर की शाखा को छाँव के लिये रखा जाता है।

4. **चूलमाटी -** चूलमाटी रस्म में अगरबत्ती, लाली, गुलाल, घी, गुड़, चिवड़ा, चाँवल हल्दी,चाँवल आटा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस रस्म में 'गोठान' (गाय–बैल बैठने का स्थान) भूमि की मिट्टी को पूजनीय मान पूजा कर लाया जाता है। चुलमाटी रस्म को धरती की पूजा व सम्मान का रस्म माना जा सकता है।

5. **मण्डपाच्छादन -** हलबा जनजाति में मंडपाच्छादन रस्म में मिट्टी का रूखी दिया, कलशा, दिया, चरण धागा, चांवल, धान आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस रस्म में महुआ की शाखा के नीचे पवित्र गोठान से लायी गयी मिट्टी को प्रत्येक नेंग या रस्म में पूजा करने के लिए चबुतरा बनाया जाता है। मण्डपाच्छादन को रस्म या नेंग करने के पूजा स्थल स्थापना माना जाता है।

6. **चिरचोली -** चिरचोली रस्म नव गृहस्थ जीवन में प्रवेश के प्रारंभिक वस्त्रों एवं श्रृंगार सामाग्रियों को पूजा कर ईश्वर को अर्पण करना चिरचोली कहलाता है। चिरचोली रस्म में नारियल, अगरबत्ती, लाली, गुलाल, घी, गुड़, चिवड़ा, पैरदान, बिजना का उपयोग होता है।

7. **देव तेल -** देव तेल रस्म में नारियल, अगरबत्ती, लाली, गुलाल, तेल, गुड़, चिवड़ा, हल्दी, धोती अर्पित किया जाता है। देव तेल रस्म में वर–वधू को तेल चढ़ाने के पूर्व ग्राम की शीतला एवं अन्य देवी–देवताओं को तेल–हल्दी अर्पित किया जाता है। फिर उसी तेल–हल्दी को लाकर घर के तेल–हल्दी में मिलाकर वर–वधू को तेल चढ़ाया जाता है।

8. **कनकन -** कनकन रस्म में आम के पत्ते व धागा का उपयोग किया जाता है। कनकन को बेहद पवित्र माना जाता है। कनकन, पवित्र धागा एवं आम के पत्तों से मिलकर बना होता है। उसे कंधे में धारणकर रक्षासूत्र की तरह कलाई में तथा पैरो में बांधते हैं।

9. **हरिद्रालेपन -** इस रस्म में हल्दी, तेल, चांवल, गाँठ हल्दी, आम पत्ता का उपयोग किया जाता है। हरिद्रालेपन में वर–वधू को तेल हल्दी का उबटन लगाया जाता है।

10. **माय साड़ी भेंट -** इस रस्म में वर द्वारा अपने परिवार के प्रतिनिधि के माध्यम से वधू की माता को माय साड़ी (सास साड़ी) भेंट करता है।

11. **तेल रस्म -** तेल चढ़ाने के रस्म में वर–वधू को निकट संबंधियों द्वारा दिन चढ़ते तेल चढ़ाया जाता है तथा दोपहर बाद अर्थात् दिन ढलने के समय तेल उतारने का रस्म सम्पन्न किया जाता है। इसी नेंग में वर या वधु की माता के द्वारा वर वधू के मुंह में नमक का स्पर्श कराकर नमक अदा करने का संदेश दिया जाता है।

12. **पर्रा झुलाना -** विवाह के दौरान वर–वधू को राजा–रानी का दर्जा दिया जाता है। पर्रा झुलाना रस्म में गीत गाकर ससम्मान सुवासिनों (महिलाओं) द्वारा मण्डप के चारों ओर वर–वधू को नचाया जाता है।

13. **मायपानी (कलशालगिन) -** इस रस्म में नये हण्डी में पानी, अगरबत्ती, घी, लाली, गुलाल, सुपारी, गुड़, चिवड़ा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस रस्म का तात्पर्य लगन के समय पाँव पखारने के समय उपयोग में लाये जाने वाले जल को ही वर–वधू को प्रतिनिधियों द्वारा गंगा जल की उपमा देकर पूजा अर्चना किया जाता है।

14. **दूल्हा स्वागत (परछन) -** बारात आने पर परछन अर्थात् द्वार पर पूजा के माध्यम से द्वार पूजा सम्पन्न कर वर का स्वागत किया जाता है।

15. **लगन पानीग्रहण -** हलबा जनजाति के विवाह में लगन पानीग्रहण प्रमुख रस्म है। लगन पानीग्रहण रस्म में धागा, चांवल, गांठ हल्दी, धान की लाई, आटा की लोई, लाली, घी, अगरबत्ती, गुलाल, फूल आदि सामग्री प्रयुक्त किया जाता है। विवाह के इस रस्म में लगन पाणिग्रहण सम्पन्न करते नव वर–वधू को दाम्पत्य जीवन का उचित निर्वाह करने उत्तर दायित्व सौंपा जाता है। ब्राम्हण या समाज के पाँच पंच द्वारा लगन पूजा सम्पन्न कराया जाता है।

16. **कन्यादान -** विवाह में पिता के द्वारा कन्यादान किया जाता है। माता–पिता, चाचा–चाची परिवार के सदस्यों द्वारा वर का 'पांव पखारा' (चरण पूजा) जाता है। विवाह में उपस्थित संबंधियों द्वारा उपहार एवं धरम टीका किया जाता है। मंत्रोच्चारण पश्चात हवन सम्पन्न कराया जाता है।

17. **सातफेरा -** विवाह के दौरान मण्डप में पत्थर के सील के उपर सात फेरों के लिए सात भाग हल्दी–चांवल का सात फेरा रखा जाता है। प्रत्येक फेरा के बाद एक–एक भाग को पैरों से हटाया जाता है।

18. **अंजली भराई रस्म -** विवाह के दौरान अंजली भराई रस्म किया जाता है।

19. **सात वचन -** दुल्हा द्वारा दुल्हन को बायें भाग में लेना तथा सात वचनों का वचन देता (करनेव) है।

20. **सिंदूर रस्म -** सिंदूर रस्म अर्थात् मांग भराई रस्म में वर के द्वारा वधु की मांग में सिंदुर भरा जाता है।

21. **मुड़ ढंकाई रस्म -** कुरा ससुर द्वारा या मामा के द्वारा मुड़ ढंकाई रस्म किया जाता है।

22. **नीति के उपदेश -** ब्राम्हण या समाज प्रमुख के द्वारा नीति के उपदेश दिया जाता है।

23. **पाँव पखारना -** समधी सगा संबंधियों का पाँव पखारने का नेंग सम्पन्न कराया जाता है।

24. **बिदाई -** विवाह उपरांत वर–वधू व बारात की बिदाई का रस्म पूरा किया जाता है। वधू के साथ एक महिला सहयोगी तथा दो सहेली भेजा जाता है।

हलबा जनजाति के मंगनी विवाह में उपरोक्त रस्म पूर्ण किया जाता है।

ब. घरजियां बिहा (परीवीक्षा विवाह)

हलबा जनजाति में घरजियां बिहा प्रचलित है। इसमें वर को एक निश्चित अवधि तक कन्या के घर में परीवीक्षा में रहना पड़ता है, जिसमें सफल होने पर विवाह होता है। वर्तमान में इस प्रकार के विवाह की संख्या कम है। घरजियां बिहा के दो कारणों से होते हैं –

1. किसी परिवार में इकलौती संतान या केवल कन्या संताने होना।
2. ऐसा परिवार जो गरीबी के कारण सामान्य रीति से अपने पुत्र का विवाह करने में सक्षम नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में घरजियां विवाह किया जा सकता है। घरजियां रखने को इच्छुक पिता समाज में योग्य वर की तलाश करता है और वर के पिता के समक्ष प्रस्ताव रखता है और सहमति मिलने पर दोनों पक्ष में सेवा अवधि व अन्य शर्तें तय किया जाता है तथा नियत दिन वधू का का पिता वर को अपने घर ले जाता है। वहां लड़के को पूर्व में तय समय के आधार पर 3–5 वर्ष सेवा देना पड़ता है। यदि कन्या एवं कन्या के पिता लड़के से संतुष्ट होतो है तो कन्या के घर में ही मंगनी विवाह के रस्म के समान रस्म पूर्ण कर विवाह कर दिया जाता है।

स. पल्टा बिहा (विनिमय विवाह)

हलबा जनजाति में दो परिवारों में विवाह योग्य लड़का–लड़की का विवाह अदला–बदली या पल्टा बिहा से कर सकते हैं अर्थात् एक परिवार के लड़के का विवाह दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार के लड़के का विवाह पहले परिवार की लड़की से किया जाता है। इसमें रस्म सहमति विवाह के समान ही होते हैं। हलबा जनजाति में ऐसे विवाह की संख्या कम है।

2. उदलिया बिहा (पलायन विवाह)

हलबा जनजाति में युवा लड़का–लड़की एक–दूसरे को पसंद करते हैं तथा विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते हैं। दोनों परिवार के सदस्य लड़का–लड़की की तलाश कर पंचायत में निर्णय हेतु मामले को प्रस्तुत किया जाता है। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति–पत्नी के रूप में मान्यता दिया जाता है। ऐसे मामले में लड़के के पिता को, कन्या के पिता को तथा समाज को आर्थिक जुर्माना व भोज देना पड़ता है।

3. खिलवां बिहा/चूड़ी बिहा (पुनर्विवाह)

हलबा जनजाति में विधुर, विधवा तथा निःसंतान विवाहित व्यक्ति के पुनर्विवाह का प्रचलन है। पुनर्विवाह हेतु स्त्री की इच्छा या सहमति आवश्यक होता है। पुनर्विवाह खिलवां, चूड़ी पहनाकर किया जाता है। पुनर्विवाह में मध्यस्थ की सहायता से प्रस्ताव भेज कर दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर तिथि व रस्म तय किया जाता है। नियत तिथि को वर अपने निकटस्थ संबंधियों के साथ कन्या के घर जाता है, स्वागत के पश्चात् वर द्वारा लाये गये खिलवां, चूड़ी वधू को पहना दिया जाता है। इसके बाद भोजन कराकर शाम को विदाई कर दिया जाता है।

4.3 मृत्यु संस्कार

हलबा जनजाति में मृत्यु को जीवन की पूर्णता माना जाता है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर संबंधियों, पड़ोसियों तथा ग्रामवासियों को सूचना देते हैं। संबंधियों एवं ग्रामीणों के एकत्रित होने के पश्चात् हरे बांस से अर्थी बनाते हैं। जिसमें केला पत्ता बिछाकर शव को रखते हैं व नये वस्त्र से ढंक देते हैं। हलबा समाज में शव को दफनाने अथवा दाह की परंपरा प्रचलित है। शव यात्रा के श्मसान में पहुंचने पर दूसरे गोत्र के सदस्य कब्र खोदते हैं। इसके बाद शव को कब्र में रखने के पश्चात मृतक का पुत्र या पिता या भाई या पति सर्वप्रथम शव पर मिट्टी डालता है। इसके बाद संबंधी तथा ग्रामीण एक–एक मुठ्ठी मिट्टी शव पर डालते हैं तथा शव को मिट्टी से पूरी तरह ढ़ंक दिया जाता है। मिट्टी देने का प्रथम अधिकार मृतक पिता होने पर बड़े पुत्र को, मृतक माता होने पर सबसे छोटे पुत्र को, निःसंतान स्त्री की मृत्यु होने पर पति, मृतक निःसंतान

विधवा होने पर जेठ या देवर का पुत्र प्रथम मिट्टी देता है। इसके पश्चात् श्मशान से सभी नदी या तालाब में नहाने जाते हैं तथा नहाने के बाद कतार में मृतक के घर जाते हैं। शव को दाह करने में मृतक का पति या बड़ा पुत्र या पिता या भाई अग्नि देते हैं।

4.3.1 तीज नहान

मृत्यु के तीसरे दिन तीज नहान होता है। इस दिन संबंधी एवं ग्रामवासी मृतक के घर एकत्रित होते हैं। सभी कतार में जाकर नदी या तालाब में नहाते हैं और नहाकर मृतक के घर आते हैं। महिलायें कतारबद्ध होकर नदी या तालाब में नहाने जाती हैं। इसके बाद घर वापस आने के बाद पत्ते के दोना में तेल घुमाया जाता है जिसे सभी छुकर अपने शरीर में लगाते हैं।

4.3.2 अंतिम क्रियाकर्म

मृत्यु के तीसरे दिन या पांचवे दिन अंतिम क्रियाकर्म होता है। कुछ क्षेत्र में दसवें दिन अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है। इस दिन संबंधी एवं ग्रामवासी मृतक के घर एकत्रित होते हैं। परिवार के पुरूष सदस्य का मुंडन होता है, शेष उपस्थित पुरूष सदस्य दाढ़ी बाल बनवाते हैं। सभी कतार में जाकर नदी या तालाब में नहाते हैं और नहाकर मृतक के घर आते हैं। महिलायें कतार बद्ध होकर नदी या तालाब में नहाने जाती हैं। इसके बाद घर वापस आने के बाद दोना में तेल घुमाया जाता है जिसे सभी छुकर अपने शरीर में लगाते हैं।

इस दिन सुदेश या पगबंधी का रस्म होता हैं। इसके बाद भांचा दान रस्म होता है। भांजा अपने मामा की आत्मा को विभिन्न बंधनों से मुक्ति के लिये रस्म करता है। इसके बदले में भांजा को वस्त्र, अन्न, कसा, सोना–चांदी, तांबा, गाय, भूमि, बर्तन आदि दान देते हैं। यह दान परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार किया जाता है। अंत में सभी को भोजन कराया जाता है।

4.4 हलबा जनजाति में जीवन संस्कार से संबंधित प्रथागत कानून

हलबा जनजाति में जन्म, विवाह तथा मृत्यु से संबंधित प्रथागत कानून पाये जाते हैं। हलबा जनजाति में जन्म, विवाह तथा मृत्यु से संबंधित समाज स्वीकृत तथा निर्धारित नियम हैं, जो कई पीढ़ियों से प्रचलित हैं, जिनका पालन अनिवार्य है। इन नियमों के उल्लंघन सामाजिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। हलबा समाज में सामाजिक अपराध की स्थिति में लिये जाने वाले आर्थिक दंड या जुर्माना को सहयोग राशि की संज्ञा दिया गया है। हलबा समाज में समाज जीवन संस्कार से संबंधित प्रथागत कानून का विवरण निम्नांकित है–

4.4.1 जन्म संबंधी प्रथागत कानून

हलबा जनजाति में वर्तमान में प्रचलित जन्म संबंधी नियम तथा प्रथागत कानून निम्नांकित हैं–

1. विवाह पूर्व गर्भवती होने को गंभीर सामाजिक अपराध माना जाता है। सामाजिक बैठक कर दोषी का पता लगाया जाता है। अगर स्त्री जानकारी न दे तो ऐसी स्थिति में गर्भपात कराया जाता है किन्तु तिलगुड़ एवं भोज खाना वर्जित होता है।
2. अविवाहित या विधवा के प्रसव होने पर नियम एक के अनुसार कार्य किया जाता है।
3. निर्णय (1) के आधार पर ऐसे अपराधियों से सामाजिक दण्ड तथा भोजन एवं आर्थिक दंड (सहयोग राशि) भी लिया जाता है।
4. यदि प्रसूता अविवाहित हो तो दोषी पुरूष का पता लगाया जाता है। यदि दोषी पुरूष सजातीय हो तो विवाह संस्कार स्थानीय गढ़ समाज द्वारा किया जाता है तथा 11000/– आर्थिक दंड (सहयोग राशि) लिया जाता है।

यदि प्रसूता विधवा हो तो अपराधी पुरुष का पता लगाया जाता है। यदि दोषी पुरूष सजातीय हो तो चुड़ी पहनाकर विधवा स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा और

1. जीवनभर महिला तथा बच्चे का पूर्ण परवरिश करेगा। उस दोषी पुरूष से समाज द्वारा आर्थिक दंड (सहयोग राशि) 11000/–लिया जाता है।
2. यदि यदि प्रसूता विधवा का दोषी पुरूष अन्य समाज का है तो संबंधित का पालक सामाजिक अपराधी होगा, उससे सामाजिक दण्ड तथा भोजन या आर्थिक दंड (सहयोग राशि) भी लिया जाता है।

4.4.2 विवाह संबंधी सामान्य नियम एवं प्रथागत कानून

हलबा जनजाति में वर्तमान में प्रचलित विवाह संबंधी सामान्य नियम तथा प्रथागत कानून निम्नांकित हैं–

1. विवाह प्रस्ताव या लड़की मंगनी के लिए गांव के डिहीवार या मध्यस्थ साथ लेकर जाना अनिवार्य है।
2. कन्या को सार्वजनिक स्थल जैसे– बाजार, मेले में देखने के बदले उसके घर जाकर देखने का नियम बनाया गया है।
3. विवाह हेतु लड़के व कन्या की सहमति आवश्यक है।
4. हलबा समाज के सामाजिक संगठन द्वारा विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष तथा लड़का की आयु 21वर्ष निर्धारित है।

5. हलबा समाज में ममेरे–फूफेरे विवाह का पूर्व में प्रचलन था जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है।
6. मंगनी या सगाई का कार्य अधिकतम तीन बार में पूरा करना आवश्यक है।
7. फलदान का कार्य दोनों समधी की राय से मण्डप गाड़ने के दिन सम्पन्न किया जाना आवश्यक है।
8. विवाह लगन बारात के माध्यम से किया जाये।
9. विवाह कार्य दो दिन में सम्पन्न किया जाये। वर का मण्डप वर के घर में स्थापित किया जायेगा और पाणिग्रहण के दिन लगन बारात लेकर वधु के घर जायेगें। दूल्हा का परिधान धोती कुर्ता को मान्यता दिया गया है।
10. शादी में बाजा रखना अनिवार्य नहीं है।
11. बारातियों की संख्या 50 होगी। विवाह की अंतिम कुर करार या चर्चा के दिन दोनों समधी समाज के समक्ष आपसी सलाह करके तय करेगें कि बाराती की संख्या 50 हो या अधिक।
12. चौवथिया को पूर्ण रूपेण बंद किया गया है।
13. पूजा की कलशी, पर्रा बिजना, मउर आदि नेंग की सामग्रीवर पक्ष द्वारा दिया जाना है।
14. फलदान के लिए चिवड़ा, गुड़ ले जाना अनिवार्य है।
15. चिरचोली की सामग्री वर पक्ष द्वारा समय से पूर्व प्रतिनिधि भेज कर पुर्ण करने का नियम बनाया गया है।
16. विवाह सम्पन्न कराने के लिए देड़ा चुना जाता है जो जतली से लेकर मण्डप विसर्जन तक कार्य करता है।
17. वरूण देव पूजा (कलशा लगन) अनिवार्य किया गया है।
18. लगन गोधुली बेला में ही सम्पन्न किया जाये।
19. बारात दिन के 4:00 बजे तक अनिवार्यतः पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. वधु पक्ष में बारात पहुँचाने के पूर्व वधु के तेल उतारनी नेंग सम्पन्न किया जाये।
21. लगन पूजा कन्या के मण्डप में लगन पूजन का कार्य किया जाये।

22 लगन पूजन की सामग्री वर पक्ष द्वारा प्रदान किया जाये।

23 बिदाई के समय पूर्व में साला पैसा, संग छुटौनी आदि प्रथा प्रचलित थी जिसे सामाजिक निर्णय के अनुसार समाप्त किया गया है।

24. विवाह के पश्चात् नव वधू पहला तीजा त्यौहार ससुराल में मनायेगी तथा उसके पश्चात जीवन पर्यन्त मायके में मना सकती है।

25. विवाह अवधि मे वर को कटार धारण करना अनिवार्य है।

26 हलबा समाज में 50 वर्ष की आयु के बाद दूसरा विवाह वर्जित है।

27. पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करने के लिए पहली पत्नी एवं समाज की अनुमति अनिवार्य होगी।

28. वैवाहिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम एवं सामान्य जीवन में मादक वस्तुओं के सेवन करना सामाजिक अपराध माना गया है और इसका प्रदर्शन करना गंभीर अपराध है इसके लिए आर्थिक दंड (सहयोग राशि) 1000/– रूपये निर्धारित किया गया है। शराब बनाने वालों को सामाजिक अपराधी मानते हुए 5000/– रूपये आर्थिक दंड (सहयोग राशि) निर्धारित किया गया है।

29. विवाह हेतु मंगनी पूर्ण होने के पश्चात्संबंध विच्छेद करना सामाजिक अपराध माना गया है। ऐसी स्थिति में जबतक लड़का या लड़की का विवाह नही होता मंगनी तोड़ने वाला पक्ष दूसरीजगह मंगनीनही कर सकेगा तथा समाज से अलग रहेगा।

30. किसी भी पक्ष द्वारा मंगनी तोड़ना सामाजिक अपराध माना जाता है। प्रथम मंगनी के पश्चात संबंध तोड़ने पर गंभीर अपराध माना जाता है तथा मंगनी तोड़ने वाले पक्ष से 11000/– आर्थिक दंड (सहयोग राशि) लिया जाता है।

31. हलबा जाति के अंतर्गत सामाजिक विधिपूर्वक तथा वैदिक रीति से किये गये विवाह को सामाजिक मान्यता होगी। अन्य सभी प्रकार के विवाह गंभीर अपराध माने जायेंगे। इसके लिए दोनों पक्ष को भोजन एवं आर्थिक दंड (सहयोग राशि) देय होगा।

32. विजातीय विवाह को सामाजिक अपराध माना जाता है।जिसमें समान, उच्च व निम्न जाति के लड़के या लड़की से विवाह करने पर अलग–अलग दंड विधान है।

33. यदि हलबा जाति की लड़की विजातीय के साथ विवाह करने पर संतान होने के पश्चात पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण पुनः समाज में नहीं लिया जाता चाहे वह अपने माता–पिता की इकलौती पुत्री क्यों न हो। वह पुत्री अपने पिता की सम्पत्ति की वारिस हो सकती है पर समाज में नहीं मिलाया जाता है।

34. यदि कोई विवाहित महिला आदतन पति के गृह का त्याग करती है तो गृह त्याग करने वाली महिला ही दोषी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में उसके पति द्वारा समाज को सूचित करने पर समाज द्वारा उसे दूसरा विवाह करने का विधिवत अनुमति या स्वीकृति दी जायेगी। साथ ही गृह त्याग करने वाली महिला का उसके पति के साथ संबंध विच्छेद कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उस महिला को पति

की संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित किया जाता है।

35. यदि कोई पुरूष अपनी विवाहित पत्नी को बिना किसी पर्याप्त कारणों से त्याग करता है तो निम्न नियम लागू होगा–

क. यदि दोषी पुरूष कृषक है तो सामाजिक बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर त्याज्य पत्नी को उसके जीवन निर्वाह के लिए अचल सम्पत्ति को कुछ भाग देय होता है।

ख. यदि दोषी पुरूष शासकीय/अशासकीय कर्मचारी या दुकानदार हो तो सामाजिक बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर त्याज्य पत्नी को जीवन निर्वाह हेतु प्रति माह नियत राशि देय होता है।

ग. उपरोक्त नियम जब तक त्याज्य पत्नीका विवाह नहीं होता तब तक लागू रहेगा। इस संबंध में दोनो पक्षों से इकरार नामा लिया जाना अनिवार्य होगा।

36. यदि कोई महिला अपने पति को बिना कारण त्याग करती है तो निम्न नियम लागू होगा –

क. पति को त्याग करने वाली विवाहित महिला को संरक्षण देने वाले पिता, भाई या अन्य जिम्मेदार परिवारिक व्यक्ति त्याज्य पति को शादी में किये गये खर्च की भरपाई करेगा। यह खर्च सामाजिक संगठन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

37. वयस्क अविवाहित कन्या या परित्यक्ता महिला अनाधिकृत रूप से परिवार को छोड़कर रह रही है और इस दौरान किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध रखकर गर्भधारण कर लेती है तो लड़की द्वारा बताये गये पुरूष के स्वजातीय होने पर गलती (भूल भटक) मान कर नियमानुसार सामाजिक भोज एवं 11000/– आर्थिक दंड (सहयोग राशि) लेकर समाज में मिला लिया जाता है।

38. वयस्क अविवाहिता लड़की या परित्यक्ता महिला यदि किसी विजातीय पुरुष के साथ अवैध संबंध के कारण गर्भधारण हो जाता है तो उस वयस्क अविवाहिता लड़की या परित्यक्ता महिला को समाज से पृथक कर दिया जाता है।

39. यदि स्वजातीय लड़के–लड़की का प्रेम संबंध के कारण गर्भधारण हो जाता है तो समाज द्वारा नियमानुसार सामाजिक भोज एवं आर्थिक दंड (सहयोग राशि) लेकर समाज में मिला लिया जाता है।

40. विवाह तिथि निश्चित होने के पश्चात् लड़का या लड़की किसी दूसरे लड़का या लड़की के साथ भाग जाते हैं या गर्भधारण कर लेती है तो दोषी लड़का या लडकी पक्ष के पालक को विवाह हेतु किये गये खर्च वहन करना पड़ेगा।

41. पति, पत्नि से अलग रहने पर समाज में लिखित सूचना आने पर विचार किया जाता है तथा दोषी को दण्डित किया जाता है।

42 ससुराल त्याग कर आयी हुई महिला को सात दिनों के अंदर उसके ससुराल पहुँचा दिया जाना अनिवार्य है। उसके आने की जानकारी उसके पति के पास तुरंत भेज दिया जाना चाहिये, ऐसा न करने पर आश्रय देने वाला व्यक्ति दोषी माना जायेगा।

43. किसी महिला के ससुराल से भागकर आने पर पिता अथवा पति पक्ष द्वारा तत्परता से उसका पता लगाया जाता है और समझाकर ससुराल में पहुँचा दिया जाता है या ससुराल वाले ले आयें। ऐसा न करने पर दोनों पक्ष दोषी माना जाता है।

4.4.3 मृत्यु संबंधी सामान्य नियम एवं प्रथागत कानून

1. शव को जलाया या दफनाया जाता है।
2. मृत्यु के तीसरे दिन में तीज नहावन व पांचवे दिन अंतिम क्रियाकर्म किया जाये।
3. महिला सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर दुःख व्यक्त किया जाये। महिला यदि तीज नहान के बाद भेंट करने जाती हैं तो एक साथ बैठकर दुःख व्यक्त किया जाये।
4. मृतक के परिवार के सामर्थ्य के अनुसार अस्थि विसर्जन तथा गंगा भोज किया जाये।
5. तीज नहान में हण्डी ले जाना एवं उसके पश्चात बाजार निकालना प्रथा वर्जित है।
6. मुण्डन कार्य किया जायेगा।
7. पगबंदी का कार्य विधिवत सम्पन्न किया जावेगा साथ ही इस कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाये।
8. महिलाएं जिस तरह मृत्यु के दिन पहले स्नान के लिए जाती है उसी तरह तीज नहान के दिन भी पुरूषों से पहले स्नान करेंगे।
9. मृत्युभोज क्षमता के अनुसार दिया जावे।
10. ब्राम्हण के अभाव में स्वजातीय संबंधियों द्वारा पिण्डदान करवाया जाय।
11. अस्थि विसर्जन पश्चात् मठ चबूतरा का निर्माण करना वर्जित है।

अध्याय - 5 सामाजिक जीवन संबंधी प्रथागत कानून

5.1 जनजाति

जाति एक गतिशील व्यवस्था है। जाति, समाज का खण्डों में विभाजन है, जिसकी सदस्यता जन्माधारित है, यह भोजन, सामाजिक सहवास, व्यवसाय एवं विवाह आदि पर आधारित है। हलबा जनजाति में क्षेत्रीयता, विवाह आदि के आधार पर अनेक उपभागों में विभाजित है।

रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" (1916) vol.-III के पृष्ठ 185–186 में हलबा जनजाति की उपजातियों के संबंध में वर्णित है कि– "The caste have local divisions known as Bastarha, Chhattisgariha and Marethia, according as they live in Bastar, Chhattisgarh and Bhandara and the other Maratha districts. The last two groups, however, intermarry, so only the Bastar Halbas really form a separate subcaste. But the caste is also everywhere divided into two groups of pure and mixed halbas. These are known in Bastar and Chhattisgarh Purait or Nekha, and Surait or Nayak, respectively, and in Bhandara as Barpangat and Khalpangat or those are good and bad stock. The suraits or Khalpangats are said to be of mixed origin, born from Halba fathers and women of other castes. .... These two sets of groups do not intermarry."

लाला जगदलपुरी (1994) ने अपने ग्रंथ "बस्तर:इतिहास एवं संस्कृति" के पृष्ठ 84 में लिखा है कि "बस्तर अंचल में हलबा जनजाति दो वर्गों में बंटी हुई है। पुरित और सुरित। पुरित वर्ग के हल्बे अपने को सुरित वर्ग के हलबों से श्रेष्ठ मानते हैं। इन दोनों वर्गों के बीच रोटी–बेटी का संबंध प्रायः नही होता। पुरित हलबा के घर सुरित हलबा भोजन कर लेता है, परंतु सुरित हलबा के घर पुरित हलबा बिना नमक का ही भोजन ग्रहण कर सकता है।"

पूर्व में हलबा जनजाति की उपजातियों में खान पान, विवाह संबंधी अनेक कठोर निषेध थे जो धीरे–धीरे लचीले हो रहे हैं।

5.2 गोत्र

अखिल भारतीय हलबा समाज की सामाजिक पत्रिका(2007) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर हलबा जनजाति के मुख्य गोत्र निम्न हैं –

1. अलनिया	2. अरोसिया
3. बकड़िया	4. बेलगैया

5. बिसेन	6. बढ़ई
7. बेलोदिया	8. बघेल
9. बिसन्दा	10. बेलसरिया
11. बोरझरिया	12. भंडारी
13. भेड़िया	14. भोयर
15.बाकड़ा	16. बेसरा
17. बुढ़ाकरिया	18. भोय
19. भाऊ	20. चनाप
21. चुरपाल	22. चुरगिया
23. चोरिया	24. चिझण्डा
25. चालकी	26. चिराम
27. बांगा चोरिया	28. धनेलिया
29. देहारी	30. दिवान
31. धकरिया	32. गांवर
33. धरत	34. गुरूवर
35. गुनागहिया	36. गागड़ा
37. घुमरा	38. फूटान
39. जमजांर	40. झाकर (सोम)
41. कोठेवार	42. कुदराम
43. कड़ियाम	44. कोरोटिया
45. कुपाल	46. कोसमा
47. कोलियारा	48. कुंवर
49. खवास	50. महला
51. मांझी	52. लेकाल

53. मकरिया
54. नाईक
55. नड़वास
56. नेगी
57. पवार
58. पुजारी
59. प्रधान
60. पात्र
61. पुंगड़ा
62. राना
63. राउत
64. रावटे
65. शिवनिया
66. सहरा
67. शांडिल्य
68. समरथ
69. साहनी
70. सरफे
71. साहरा
72. तिरसुनिया
73. तारम
74. सिकसोरिया
75. वैध.

5.3 परिवार

परिवार समाज की प्रारंभिक तथा आधारभूत इकाई है। हलबा परिवारों में परिवार के वरिष्ठ पुरूष सदस्य मुखिया होते हैं। पारिवारिक जीवन का संचालन, निर्णय मुखिया द्वारा किया जाता है। हलबा जनजाति में एकल या केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। हलबा जनजाति में संरचना के आधार पर केन्द्रीय या एकल, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं।

हलबा परिवार पितृसत्तात्मक प्रकृति के होते हैं। हलबा परिवार पितृवंशीय एवं पितृ अधिकार युक्त होते हैं। हलबा समाज में वंशनाम पुरूष के नाम पर तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। आवास के आधार पर हलबा जनजाति परिवार पितृस्थानीय एवं नवस्थानीय परिवार पाये जाते हैं अर्थात विवाह के पश्चात हलबा दम्पत्ति वर के पिता के आवास पर या नये आवास में निवास करते हैं। हलबा परिवार एकल विवाही परिवार तथा बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं।

5.4 नातेदारी

हलबा जनजाति में नातेदारी में रक्त संबंधी तथा विवाह संबंधी नातेदारी सम्बन्ध पाये जाते हैं। रक्त संबंधी नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत माता–पिता, भाई–भाई, भाई–बहन आदि आते हैं जबकि विवाह संबंधी

नातेदारी श्रेणी के अन्तर्गत पति–पत्नी, सास–ससुर, जीजा, साला आदि संबंधी शामिल हैं। हलबा जनजाति में कुछ संबंधियों के मध्य परिहास या हंसी मजाक के संबंध पाये जाते हैं। इसके विपरीत कुछ संबंधियों के मध्य परिहार संबंध पाया जाता है। जिसमें कुछ नियमों का अनिवार्यतः पालन किया जाता है।

5.5 हलबा जनजाति में सामाजिक जीवन संबंधी प्रथागत कानून

हलबा जनजाति में वर्तमान में प्रचलित सामाजिक जीवन संबंधी प्रथागत कानून निम्नांकित हैं –

1. हलबा जनजाति में एक गोत्र के सदस्य एक–दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। गोत्र बहिर्विवाही समूह है अर्थात समान गोत्र में विवाह निषेध है। प्रेम संबंध के कारण यदि ऐसी घटना घटित होती है तो दोनों पक्षों को दंडित किया जाता है।

2. हलबा जनजाति में यदि कोई दंपत्ति संतानहीन हैं तो दत्तक हेतु परिवार के सदस्य या स्वगोत्रीय को प्राथमिकता देते हैं।

3. समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु संस्कार कार्य में विवाही गोत्र के सदस्य सेवा देते हैं।

4. पूर्व में हलबा जनजाति की उपजातियों में उच्च–निम्न भाव के कारण खान पान, विवाह संबंधी अनेक निषेध थे जो वर्तमान में कम हो रहे हैं।

5. हलबा जनजाति में परिहार संबंध के नियमों का पालन आवश्यक होता है जिसका उल्लंघन होने पर पारिवारिक व सामाजिक रूप से तिरस्कार किया जाता है।

6. सामाजिक नियमों के विरूद्ध चलने एवं सामाजिक रूप से प्रतिबंधित व्यक्ति को किसी सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित न करने का नियम बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति या परिवार सामाजिक रूप से ऐसे प्रतिबंधित व्यक्ति को आमंत्रित करता है तो आमंत्रित करने वाला व्यक्ति या परिवार दोषी माना जाता है।

अध्याय - 6 आर्थिक जीवन संबंधी प्रथागत कानून

हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र मैदानी, पहाड़ी तथा वनयुक्त क्षेत्र में निवास करने के कारण बहु–स्तरीय आर्थिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हलबा जनजाति के सदस्य लाई–चिवड़ा बनाना व बेचना, संकलन, मछली मारना, पशुपालन, कृषि, मजदूरी, नौकरी, व्यवसाय आदि कार्यों में संलग्न है। हलबा जनजाति में उपरोक्त साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति किया जाता है।

6.1 सम्पत्ति

हलबा जनजाति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को सम्पत्ति माना जाता है। हलबा परिवारों में सम्पत्ति स्वअर्जित एवं पूर्व पीढ़ी से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है। हलबा जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

6.1.1 सामूहिक सम्पत्ति

ग्राम, मंदिर, तालाब, चारागाह आदि तथा ग्राम के भौगोलिक–राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी–नाले, वन, पहाड़ आदि समुदाय की सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है।

6.1.2 पारिवारिक सम्पत्ति

परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्जित सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति माना जाता है। इसमें पारिवारिक विभाजन से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति भी शामिल है। इसके अंतर्गत मकान, पशु, भूमि, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

6.1.3 व्यक्तिगत सम्पत्ति

स्व–उपयोग हेतु अर्जित अथवा क्रय किया गया अथवा प्राप्त वस्तुयें/सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाता है। इसमें वाद्य यंत्र, शिकार के उपकरण, घड़ी, सायकल, मोबाइल आदि शामिल है।

6.2 आर्थिक संरचना

हलबा जनजाति पारंपरिक तथा नवीन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हलबा जनजाति के आर्थिक क्रियाओं का विवरण निम्नांकित है –

6.2.1 लाई-चिवड़ा बनाना

हलबा जनजाति का परंपरागत कार्य लाई–चिवड़ा बनाना तथा बेचना है। हलबा जनजाति के आर्थिक जीवन में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हलबा जनजाति मूलतः कृषि करने वाली जनजाति है। हलबा स्त्रियॉ धान से लाई तथा चिवड़ा बनाकर स्थानीय बाजारों में बेचकर अपने परिवार में आर्थिक सहयोग करती हैं।

6.2.2 कृषि

हलबा जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हलबा सदस्यों द्वारा घर के समीप बाड़ी में, खेतों में तथा मरहान में अनाज, दालें तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। हलबा जनजाति की कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है।

6.2.3 मत्स्य आखेट

हलबा जनजाति के स्त्री–पुरूष वर्षा एवं शीत ऋतु में नदी–नाला, तालाब तथा खेत में एकल या सामूहिक रूप से मछली मारने का कार्य करते हैं। मछली मारने का कार्य उपभोग हेतु किया जाता है। सामूहिक रूप में प्राप्त मछली का समान वितरण किया जाता है, किन्तु मछली जाल के स्वामी को एक भाग अतिरिक्त दिया जाता है।

6.2.4 कंदमूल एवं वनोपज संकलन

हलबा जनजाति में उपभोग एवं विक्रय हेतु कंदमूल एवं वनोपज संकलन किया जाता है। संकलन का कार्य एकल तथा सामूहिक रूप से किया जाता है। संकलन कार्य किशोर, युवा एवं वयस्क स्त्री–पुरूषों द्वारा किया जाता है। हलबा सदस्य स्वामित्व के वृक्ष तथा वन से कंदमूल, फल–फूल, पत्ते, जड़ आदि का संकलन करते हैं।

6.2.5 पशुपालन

पशुपालन हलबा जनजाति की सहायक आर्थिक क्रिया है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य, मांस, धार्मिक कार्य एवं आर्थिक लाभ है। हलबा परिवारों में गाय, बैल, बकरा–बकरी, भैस, भैसा, मुर्गी–मुर्गा, बतख आदि पशुओं का पालन किया जाता है।

6.2.6 मजदूरी

हलबा जनजाति के सदस्य वन आधारित आर्थिक स्त्रोतों की कमी होने के कारण कृषि, निर्माण आदि क्षेत्रों में मजदूरी करने लगे हैं। शासकीय मजदूरी कार्य में शासकीय दर से मजदूरी प्राप्त होती है।

6.2.7 अन्य स्त्रोत

हलबा जनजाति के सदस्य शासकीय सेवा, स्व सहायता समूह, सहकारी समिति, व्यवसाय, ठेकेदारी आदि कार्यो के द्वारा भी आय प्राप्त कर रहे है। यह हलबा परिवारों के परम्परागत आर्थिक स्त्रोतों के अतिरिक्त अन्य आय के स्त्रोत है।

6.3 हलबा जनजाति में आर्थिक जीवन संबंधी नियम व प्रथागत कानून

हलबा जनजाति में आर्थिक जीवन से संबंधी वर्तमान में प्रचलित नियम तथा प्रथागत कानून निम्नांकित हैं –

1. हलबा जनजाति पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है। हलबा जनजाति में पूर्व में ज्येष्ठाधिकार की प्रथा थी, जिसके अंतर्गत सबसे बड़े पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी निर्वहन के कारण सम्पत्ति का कुछ या एक हिस्सा ज्यादा देते हैं। शेष सभी भाईयों को समान वितरण होता है। वर्तमान में सभी भाईयों में संपत्ति का समान वितरण किया जाता है।
2. यदि माता–पिता जीवित हो तो उन्हें सम्पत्ति के विभाजन में एक भाग देते हैं, जिसमें छोटा या बड़ा पुत्र कृषि करता है, माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् यह हिस्सा सभी भाईयों में समान बांटा जाता है।
3. सामूहिक रूप में मछली मारने से प्राप्त मछली का समान वितरण किया जाता है, किन्तु मछली जाल के स्वामी को एक भाग अतिरिक्त दिया जाता है।
4. हलबा समाज के सदस्यों को निषिद्ध व्यवसाय जैसे–सूअर पालन, जूता–चप्पल विक्रय का व्यवसाय, मादक पदार्थ जैसे–शराब निर्माण व विक्रय कार्य आदि व्यवसाय करना प्रतिबंधित है।

अध्याय - 7 धार्मिक जीवन से संबंधित प्रथागत कानून

हलबा जनजाति का धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं के विश्वास पर आधारित है। हलबा जनजाति के सदस्य अलौकिक या अधि मानवीय शक्तियों के समक्ष समर्पण कर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर आराधना, बलि के माध्यम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। धर्म दैनिक जीवन, सामाजिक–आर्थिक, जीवन संस्कार के विभिन्न क्रियाओं से संबद्ध है, यह सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने आवश्यक है। हलबा जनजाति में कुल देवी–देवता, ग्राम देवी–देवता तथा प्रमुख देवी–देवता के रूप में शीतला माता, ठाकुर देव, काली माता, कंकालीन देवी, परदेशीन देवी, दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, मावली देवी, भैरम देव, दूल्हा देव आदि की पूजा किया जाता है।

हलबा जनजाति की बस्तर में अन्य मूल निवासियों की तुलना में उच्च सामाजिक प्रास्थिति प्राप्त है। इस कारण बस्तर रियासत काल में राजा के विश्वासपात्र होने के साथ–साथ बस्तर दशहरा के अनेक रस्मों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया गया था। हलबा जनजाति के सदस्य रियासत काल से बस्तर के विभिन्न ग्रामों में पुजारी का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हलबा समाज धार्मिक रूप से अपने समाज के साथ–साथ सर्वसमाज की धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुये हैं। हलबा जनजाति में धार्मिक जीवन से संबंधित प्रथागत कानून निम्नांकित है –

1. हलबा जनजाति के परिवारों के कुल देवी–देवताओं के पूजा व प्रसाद परिवार की विवाहित कन्याओं को नही दिया जाता है। इसी प्रकार परिवार के पूजा कक्ष में प्रवेश पर प्रतिबंध होता है।
2. परिवार में जन्म या शोक होने पर संबंधित क्रियाओं के पूर्ण होने तक धार्मिक कार्य करने या शामिल होने पर मनाही होती है।
3. ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यों में सभी परिवारों की सहभागिता अनिवार्य होता है यदि कोई परिवार शामिल नही होता या निर्धारित चंदा नहीं देता है तो समाज उस परिवार को आर्थिक दंड या चेतावनी दे सकता है।
4. दैवीय दण्ड होने पर शांति एवं शुद्धीकरण आवश्यक है। यह कार्य ग्राम के संबंधियों के सहयोग से किया जाये। स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होगी भोज क्षमता के अनुसार दिया जाये।
5. समाज से पृथक व्यक्ति को कथा हवन एवं दैविक कार्य में केवल पूजा तक सम्मिलित किया जाये। खान पान में सम्मिलित करना सामाजिक अपराध होगा किन्तु घर के बाहर देव कार्य में यह नियम लागू नहीं होगा।

अध्याय - 8 दैनिक जीवन से संबंधित प्रथागत कानून

हलबा जनजाति में दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों में व्यवस्था एवं नियंत्रण बनाये रखने हेतु अनेक नियम बनाये गये हैं। हलबा जनजाति समाज अपने नियमों व परंपराओं के पालन के प्रति कटिबद्ध है। इस कारण नियमों का पालन सभी जनों के लिये अनिवार्य होता है। इससे न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने में मदद मिलती है वरन् परंपरा का उचित निर्वहन एवं संस्कृति का संरक्षण भी होता है। हलबा जनजाति में दैनिक जीवन से संबंधित नियम का विवरण निम्नांकित है –

1. सामाजिक कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम एवं सामान्य जीवन में मादक वस्तुओं का सेवन करना सामाजिक अपराध है और इसका प्रदर्शन करना गंभीर अपराध है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उससे इस अपराध हेतु दंडस्वरूप राशि 1000/–रूपये निर्धारित किया गया है।

2. शराब बनाने वालों को सामाजिक अपराधी मानते हुए 5000/– रूपये आर्थिक दंड (सहयोग राशि) लेने का निर्णय लिया गया है।

3. किसी भी मामले में समाज द्वारा लिये गये निर्णय की आर्थिक दंड (सहयोग राशि) जमा करने की अधिकतम अवधि छः माह की होगी। इसके पश्चात निर्णय निरस्त माना जायेगा।

4. सामाजिक सदस्य या पदाधिकारी किसी अपराध के दोषी पाये जाने परस्वतः पदमुक्त माना जायेगा।

5. एक व्यक्ति एक समय में दो गाँव का डिहीवार नहीं बन सकता यदि किसी कारण वश किसी दूसरे गाँव का डिहीवार बनना चाहता है तो पहले गाँव की स्वीकृति आवश्यक होगी।

6. गौ हत्या गंभीर सामाजिक अपराध है इसके निवारण हेतु कर्णेश्वर से गंगाजल लाकर गौशाला में शांति हेतु हवन किया जावे। हवन के पश्चात नौ कुंवारी कन्याओं को भोजन करवा कर क्षमता के अनुसार उन्हें दान दिया जाता है। इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु सामाजिक कार्यकारिणी की स्वीकृति आवश्यक है।

7. न्यायालय द्वारा दण्डित (सजायाफ्ता) व्यक्ति (पुरूष/महिला) को दण्ड के कारणों के आधार पर सामाजिक अपराधी माने जावेंगे।

8. सामाजिक संगठन के पूर्व अनुमति के बिना समाज के प्रकरणों को न्यायालय में ले जाना सामाजिक अपराध माना जावेगा।

9. स्वजातियों में जूता चप्पल से मार–पीट सामाजिक अपराध होगा। इस हेतु दोनों पक्ष से भोज एवं सहयोग राशि लिया जावेगा।

अध्याय - 9

निष्कर्ष

हलबा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था एवं नियंत्रण बनाये रखने हेतु अनेक नियम व प्रथागत कानून प्रचलित हैं। हलबा समाज के सदस्य सामाजिक नियमों व परंपराओं के पालन के प्रति जागरूक है। पूर्व में समाज का परंपरागत जाति पंचायत ग्राम व परगना स्तर के जातिगत समस्त मामलों का निराकरण किया जाता था। इसमें साधारण व गंभीर श्रेणी के अपराधों पर निर्णय किया जाता था किंतु आधुनिक कानून व्यवस्था, पंचायती राज, प्रशासनिक व्यवस्था, आधुनिकता के कारण धीरे–धीरे हलबा समाज के परंपरागत जाति पंचायत के प्रभाव में ह्रास होता गया। समाज के सदस्य जीवन संस्कार से जुड़े मामलों को छोड़कर शेष मामलों के लिये आधुनिक व्यवस्था पर निर्भर हो गये। जिससे परंपरागत जाति पंचायत का प्रभाव कम हो गया।

उपरोक्त परिस्थिति के फलस्वरूप हलबा समाज के शिक्षित, जागरूक वरिष्ठ सदस्यों ने हलबा समाज की परंपरा, संस्कृति के संरक्षण व सामाजिक विकास के लिये सामाजिक–राजनीतिक संगठन का पुनर्गठन किया गया। इस संगठन में परंपरागत व आधुनिकता का मेल करते हुये निम्न से उच्च स्तर तक श्रेणीकरण करते हुये क्षेत्रीयता पर आधारित संगठन का स्वरूप दिया। देश के विभिन्न राज्यों व क्षेत्र में निवासरत हलबा, हलबी जनजाति सदस्य को एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनाया गया। इस संगठन में प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों की कार्यकारिणी, उनके अधिकार व कर्त्तव्य को स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक स्तर पर महिलाओं और समाज के शासकीय सेवारत सदस्यों का पृथक प्रकोष्ठ बनाया गया है। समाज के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार तथा परंपराओं के पालन हेतु नियम बनाये गये। पूर्व से चले आ रहे प्रथागत कानून में परिस्थिति अनुरूप संशोधन करते हुये अधिक प्रभावी बनाया गया। समाज में घटित गंभीर सामाजिक अपराध तथा समाज से पृथक व्यक्ति या परिवार को समाज में मिलाने के कार्य का निर्वहन करने वाले गोत्र के सदस्यों का नवीन व्यवस्था में सम्मिलित किया गया।

हलबा समाज में अपनी संस्कृति तथा अतीत को लेकर अत्यंत गौरवशाली अनुभूति पायी जाती है। वे अपने समाज की संस्कृति व सामाजिक व्यवस्था बनाये रखते हुये विकास की राह अग्रसर होने के पक्षधर हैं। हलबा समाज की नवीन सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था इस हेतु सतत् प्रयत्नशील है जिसके सुपरिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं।